तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपा। प्रार्थीगण संख्या-1 ओमप्रकाश व 2 भागीरथ ने उपस्थित बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया। शामिल मिसल किया गया। फिस शुल्क दी। साक्ष्य वादी बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/06/19 को पेश हो।
21/06/19	पत्रावली पेश हुई। बहस हेतु वकील वादी उपा। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 27/06/2019 को पेश हो।
27/06/19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकीलवादी उपा। वाद प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रकरण संख्या - 20/...

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : रामावतार कुमावत, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 208 दायर दिनांक : 17.12.2018

1. ओमप्रकाश
2. भगतराम

पिसरान पाबूदान उर्फ प्रभुदान जाति कुम्हार निवासीयान वार्ड नं. 18, स्वामी विवेकानन्द चौक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. दिनेश पुत्र जगदीश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल वार्ड नं. 6, रामदेव मन्दिर रोड, मोहन सरस्वा के मकान के पीछे, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 27.06.2019

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वादीगण के अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण दोनों सगे भाई हैं व दोनों के नाम से संयुक्त खाता में रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/2/6 में 1.323 है0 बारानी भूमि ब.हि.ब. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह भूमि खाता विभाजन के प्रकरण सं. 43/2010 में पारित डिक्री दिनांक 25.03.2011 से प्राप्त भूमि में से 2.004 है0 भूमि बेचान करने के पश्चात् शेष रही भूमि है। विक्रय की गई भूमि इन्तकाल सं. 510/25.02.2013 द्वारा क्रेतागण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। उक्त शेष रही 1.323 है0 भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण काबिज हैं, जिसमें 0.380 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में है, परन्तु आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज नहीं है। वादीगण की इस भूमि के पश्चिम में विद्युत विभाग की जी.एस.एस. की भूमि है, दक्षिण में

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

चिपते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है एवं पूर्व व उत्तर में चिपते हुए जगमोहन की खसरा नं. 328/2 की भूमि है। वादीगण ने अपनी उक्त भूमि में पहले कच्ची मिट्टी सांचे की दीवार सीमा पर बनाई थी, परन्तु बरसात व आंधी के कारण वह गिर चुकी है, परन्तु निशानात आज भी हैं। पड़ौसी काश्तकारान के साथ सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 की इस खसरा में कोई भूमि नहीं है व ना ही कभी पहले थी, लेकिन फिर भी अर्सा पूर्व प्रतिवादी सं. 1 बिना किसी अधिकार के जबरदस्ती वादीगण की भूमि में अपना हक जताने की नीयत से घुसकर तीन–चार खम्भे गाड़ दिये जिसे वादीगण ने उखाड़ दिये। तत्पश्चात् वादीगण ने उसे पंचायत में भी समझाया, परन्तु वह जिद पर अड़ा रहा और कहा कि मैं तो कब्जा करूंगा, जिसके सम्बन्ध में वादीगण ने दिनांक 16.11.2018 को पुलिस थाना में प्रार्थना–पत्र दिया जिस पर उसे पाबन्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी प्रतिवादी सं. 1 ऐलानिया कब्जा करने की धमकी दे रहा है। प्रतिवादी सं. 1 पुनः अपने साथ 8–10 व्यक्तियों को साथ लेकर वादीगण की भूमि पर खम्भे गाड़ने की कोशिश की जिसके बारे में वादीगण को पता चलने पर मौका पर जाकर विरोध किया तो वे लोग भाग गये, और जाते–जाते पुनः कब्जा करने की धमकी दी, इसलिए वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण की रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/2/6 में 1.323 है0 बारानी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की बेजा दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये पंजीकृत एवं साधारण सम्मन तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामिल हाजिर नहीं आने पर प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध दिनांक 18.06.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। तहसीलदार सूरतगढ़ को सम्मन तामिल हुए 90 दिवस से ज्यादा का समय होने के पश्चात् भी जवाब स्टेट नहीं दिये जाने पर दिनांक 19.06.2019 को जवाब स्टेट बन्द कर साक्ष्य वादी प्राप्त किये गये। वादीगण ने साक्ष्य में शपथ–पत्र पेश किये जिन पर जिरह शून्य रही। साक्ष्य वादी बन्द किये जाकर बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए वाद के साथ प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 कस्बा सूरतगढ़ खाता सं. 10/22, थानाधिकारी सूरतगढ़ शहर को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

दिनांक 16.11.2018, प्रकरण सं. 43/2010 में पारित डिक्री दिनांक 25.03.2011, इजराय दयारानी बनाम ओमप्रकाश क्रमांक 1188/04.04.2011, रिपोर्ट पटवारी दिनांक 22.03.2011, नजरी नक्शा खसरा नं. 329/2 कस्बा सूरतगढ़ व खसरा गिरदावरियों की चित्रप्रतियों की ओर ध्यान दिलाया एवं वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण खातेदार कृषक हैं, प्रतिवादी सं. 1 की जैरवाद कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/2 में कोई भूमि नहीं है व ना ही कभी पहले थी, लेकिन फिर भी प्रतिवादी सं. 1 बिना किसी अधिकार के वादीगण की भूमि में जबरदस्ती घुसकर, कब्जा करने व अपना हक जताने की नीयत से खम्भे गाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जो बार–बार समझाने पर भी नहीं मान रहा है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण की रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 329/2/6 में 1.323 है0 बारानी खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की बेजा दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की गयी।

तर्कों पर मनन किया। तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय साक्ष्य गहनता से अवलोकन किया। वादीगण जैरवाद भूमि के खातेदार कृषक हैं, खातेदार कृषक को अपनी भूमि की सुरक्षा करने का पूरा हक है। प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। वाद वादीगण पूर्णतया सिद्ध होता है, इसलिए वाद वादीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के नाम की वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 10/22 के खसरा नं. 329/2/6 में 1.323 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/06/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/19

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – रामावतार कुमावत, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. ओमप्रकाश
2. भगतराम

} पिसरान पाबूदान उर्फ प्रभुदान जाति कुम्हार निवासीयान वार्ड नं. 18, स्वामी विवेकानन्द चौक, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. दिनेश पुत्र जगदीश जाति बिश्नोई निवासी रावतसर हाल वार्ड नं. 6, रामदेव मन्दिर रोड, मोहन सरस्वा के मकान के पीछे, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत188 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 208 वर्ष 2018 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रतिवादी सं. 1 को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के नाम की वाके रोही कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2068 ता 71 की खाता सं. 10/22 के खसरा नं. 329/2/6 में 1.323 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 22/6/2019 को जारी की गई।

22/6/19

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner